कार्यालय रक्षालेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान) करियप्पा मार्ग लखनऊ छावनी -226002

Office of the Principal Controller of Defence Accounts (CC)
Cariappa Road, Lucknow Cantt.-226002

सं. प्रशा /1025/हि.क/ति.प्र.रि.समीक्षा/03/2017 दिनांक -9/06/2017

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

1. मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग
2. सभी अधीनस्थ कार्यालय

विषय : 06/2017 की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा ।

*****

राजभाषा नियम,1976 के नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963, की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं ।

राजभाषा अधिनियम 1963 (3) के अंतर्गत निम्नलिखित 14 कागजात आते हैं:-

1	सामान्य आदेश	8	करार
2	संकल्प	9	अनुज्ञप्तियां
3	नियम	10	अनुज्ञापत्र
4	अधिसूचनाएं	11	सूचनाएं
5	प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट	12	निविदा प्रपत्र
6	प्रेस विज्ञप्तियां	13	निविदा सूचना
7	संविदाएं	14	संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले कागजात

उपर्युक्त सभी कागजातों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है और इन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वह इन पर तभी हस्ताक्षर करें जबकि इन्हें द्विभाषी रूप (हिन्दी/अंग्रेजी) में प्रस्तुत किया गया हो । कृपया सुनिश्चित करें कि धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजातों को द्विभाषी रूप में ही तैयार किया जाए ।

व. लेखाधिकारी
(हिंदी)

Data/Timahi Report/QPR Samiksha